FROM No.III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत सहायक कलक्टर (SDO) बायतु मुकाम ....

खेताराम बनाम भीमाराम

किस्म मुकदमा रा० आवेदन 111, 128 RLR Act नं. 57 सन् 2018

तारीख हुक्म	हुक्म कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
14.2.18	प्रार्थी/वादी/अपीलांट के वकील श्री खेताराम जाखड़ ने यह प्रार्थना पत्र/वाद/अपील धारा 111, 128 RLR Act राजस्थान काश्तकारी/भू राजस्व अधिनियम के अन्तर्गत पेश किया है। जो दर्ज रजिस्टर हो। विप्रार्थी /प्रतिवादी/रेस्पोडेंट जरिये नोटिस/सम्मन तलब होकर पत्रावली वास्ते जवाब दिनांक 20/2/18 को पेश हो। [signature] सहायक कलक्टर (SDO) बायतु	
20.2.18	प्रार्थी वकील उपस्थित। विप्रार्थीगणों के नोटिस तामील शुदा प्राप्त जिसे शामिल पत्रावली किया गया। विप्रार्थीगण बावजूद तामील अनुपस्थित। प्रार्थी के अधिवक्ता की एक पक्षीय बहस सुनी गई। प्रार्थी अधिवक्ता ने बताया कि प्रार्थी के खातेदारी खेतों के चारों ओर पत्थर के मेखन स्थापित करवाना आवश्यक है इसलिए प्रार्थी का मेखनबंदी आवेदन स्वीकार किया जाकर मेखनबंदी आदेश किया जावे। अतः प्रार्थी का मेखनबंदी आवेदन स्वीकार किया जाकर तहसीलदार गिड़ा को कमिश्नर नियुक्त किया जाता है व आदेश दिया जाता है कि आप स्वयं या अपने अधीनस्थ किसी भू.अ. निरीक्षक से प्रार्थी के खातेदारी खेतों की पत्थर मेखनबंदी मौके पर शुल्क जमा कराकर करें। पालना प्रतिवेदन पेश होने पर शामिल पत्रावली होवे। पत्रावली फैसल शुमार हो कर नम्बर से कम हो दाखिल दफ्तर हो।	

[signature]

सहायक कलक्टर (SDO)
बायतु

राजस्थान–सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बायतु

क्रमांक / वाद / 2018 / 231

दिनाक – 20.2.18

प्रार्थीगण बनाम विप्रार्थीगण

1. खेताराम पुत्र दीपाराम वगैरा 9 जाति जाट निवासी चक सन्तरा तह. गिडा जिला बाडमेर

1. भीमाराम पुत्र गोपूराम वगैरा 4 निवासी चक सन्तरा तह. गिडा जिला बाडमेर

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128, 111 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956

राजस्व आवेदन संख्या 57 / 18

आदेश

मौजा चक सन्तरा पटवार हल्का सन्तरा के खेत खसरा नम्बर 6, 7, 23, 285 / 31, 289 / 31 रकबा क्रमशः 00.08, 15.18, 26.14, 04.17, 19.00 बीघा, मौजा पाउण्डरी पटवार मण्डल चिडिया के खेत खसरा नम्बर 14 रकबा 58.19 बीघा, मौजा जाजवा आईजी पटवार मण्डल जाजवा के खेत खसरा नम्बर 678 रकबा 45.11, मौजा रिडिया रामदेव नगर पटवार मण्डल सन्तरा के खेत खसरा नम्बर 9 रकबा 16.03 बीघा की भूमि में चारों तरफ पक्के नेखम स्थापित करने हेतु तहसीलदार गिडा को कमीशनर नियुक्त किया जाकर आदेश दिया जाता है कि वे स्वयं या अपने अधिनस्थ भू.अ.निरीक्षक से प्रार्थीगण के खातेदारी खेतां का सीमाज्ञान कर, पक्की नेखमबंदी मौके पर शुल्क जमा कराकर करें तथा अपेक्षित होने पर थानाधिकारी, पुलिस थाना, गिडा से पुलिस इमदाद प्राप्त करने हेतु अधिकृत किया जाता हैं।

उपखण्ड कलक्टर (SDO)

(हेताराम चौहान)
उपखण्ड अधिकारी बायतु
दिनांक – 20.2.18

क्रमांक / वाद / 2018 / 232–236

प्रतिलिपि :–निम्न को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित है।

1. तहसीलदार गिडा।
2. पटवारी हल्का सन्तरा / चिडिया / जाजवा को भेजकर लेख है कि निर्धारित तारीख को मय रेकर्ड उपस्थित रहकर नेखमबंदी की कार्यवाही पूर्ण करावें।
3. प्रार्थीगण श्री खेताराम पुत्र दीपाराम वगैरा 9।
4. विप्रार्थीगण श्री भीमाराम पुत्र गोपूराम वगैरा 4।
5. थानाधिकारी पुलिस थाना, गिडा।

उपखण्ड अधिकारी बायतु